59

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 10–2/356/1996 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 7–2–1996 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 843/1990–91 अपील

कौशल प्रसाद तनय रामदयाल लखेर

ग्राम कोठी तहसील रघुराजनगर

जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– रामदयाल पुत्र लक्ष्मणदास

ग्राम कोठी तहसील रघुवराजनगर जिला सतना

2– रामरतन पुत्र गुन्ड ग्राम कोठी

तहसील रघुराजनगर जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री शशि पाण्डेय)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामनिहार शाहू)

आ दे श

(आज दिनांक 10–07–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 843/ 1990–91 में पारित आदेश दिनॉक 7–2–1996 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि विक्रय पत्र वर्ष 1970 के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त कोठी ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 31–3–1982 से कौशल प्रसाद पुत्र उमाशंकर लखेर का नामान्तरण किया । इस आदेश के विरूद्व रामदयाल पुत्र लक्ष्मणदास लखेर ने

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण क्रमांक 68 अ–6/1982–83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–85 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष रामदयाल पुत्र लक्ष्मणदास लखेर ने अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 843/1990–91 में पारित आदेश दिनॉक 7–2–1996 से राजस्व निरीक्षक वृत्त कोठी का नामान्तरण आदेश दिनांक 31–3–1982 एंव अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 31–5–85 निरस्त कर दिया तथा अपीलकर्ता के हित में हुआ नामान्तरण आदेश दिनांक 26–5–82 स्थिर रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कौशल प्रसाद पुत्र उमाशंकर लखेर के हित में संपादित विक्रय पत्र वर्ष 1970 का है जबकि राजस्व निरीक्षक ने वर्ष 1970 के विक्रय पत्र पर से दिनांक 31–3–1982 को नामांत्रण किया है इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 31–5–85 का अंश उद्धरण इस प्रकार है :–

- **अपी0 को पूर्व भूमिस्वामी गुण्डा लखेर पुत्र रामरतन जो कि रेस्पा0क0 2 है भूमि क्रय करने का कोई अधिकार नहीं रह था क्योंकि कोई भूमि शेष नहीं बचती थी। अपी0 के नाम जो नामान्तरण किया गया वह पूर्णतया अवैधानिक है क्योंकि जब मौके में कोई भूमि शेष नहीं बचती तो उसकी खरीदी एंव बेंची फर्जी एंव नाजायज है। ***

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का उक्तानुसार निष्कर्ष समाधानकारक नहीं है क्योंकि जब भूमिस्वामी गुण्डा लखेर पुत्र रामरतन व्दारा विक्रय पत्र लिखवाकर (टंकित कराकर) उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किये होंगे एंव जो केता विक्रय धन अदा करेगा, उप पंजीयक भू अभिलेख के समाधान होने पर विक्रय पत्र संपादित करेगा , इसी प्रकार केता भी तभी विक्रय धन अदा करेगा, जव वह

विक्रय पत्र संपादित होने के पूर्व मौके पर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि विक्रय पत्र में कब्जा प्राप्त कर लेना एंव विक्रय धन अदायगी होना उल्लेखित रहता है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनॉक 7–2–1996 में दिये गये निष्कर्ष का अंश उद्धरण इस प्रकार है :–

- **रेस्पा0क0 1 के द्वारा सन 1970 के पंजीबद्ध विक्रय पत्र को विक्रेता की मृत्यु के उपरांत सन 1982 में प्रस्तुत प्रस्तुत करने के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई समाधान कारक निष्कर्ष नहीं निकाला है। इससे यह सावित होता है कि प्रश्नास्पद भूमि का विक्रय तथा नामांत्रण स्पष्टतः संदिग्ध है। फलतः राजस्व निरीक्षक का नामांत्रण आदेश दिनांक 31–3–82 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ***

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 31–5–85 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनॉक 7–2–1996 में दिये गये निष्कर्षो का तुलनात्मक अध्य्यन करने पर मामला स्वत्व के विवाद का प्रतीत होता है एंव व्यथित पक्षकार स्वत्व के विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र है किन्तु विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनॉक 7–2–1996 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते है जिसके कारण निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 843/1990–91 में पारित आदेश दिनॉक 7–2–1996 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर